सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0–90/2023 **दिनांक– 10 मार्च 2023**

प्रेस- विज्ञप्ति

थाना गंभीरपुर

लडकी को नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 07.03.2023 को थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ निवासी शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया कि गांव का एक लड़का आवेदिका के घर कई महिनो से आता जाता था। दो माह पहले जब घर पर कोई नहीं था सिर्फ आवेदिका की पुत्री घर पर अकेली थी तब आरोपी घर आया और पानी में कुछ नसीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और लड़की का अश्लील विडियो बनाकर सड़क पर जाते समय छेडखानी करने लगा आवेदिका के घर वालों द्वारा विरोध किया गया तो दिनांक 06.03.2023 की रात में अश्लील विडियो वायरल कर दिया।

➡ जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 74/2023 धारा 354,328,506 IPC व 67A IT एक्ट पंजीकृत कर प्रारम्भिक विवेचना उ.नि. शिवसागर द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी विवरण:-

आज दिनांक 10.03.2023 को उपनिरीक्षक शिवसागर यादव मय हमराह के अभियुक्त की गिरफ्तारी के क्रम मे गंभीरपुर प्राथमिक बिद्यालय के पास मौजूद थे कि मुखविर द्वारा सूचना दिया गया कि प्राथमिक विद्यालय गंभीरपुर के पीछे खड़ा व्यक्ति ही रोहित कुमार है इस सूचना पर तत्काल मय हमराह के मौके पर ही घर कर संमय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया वाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय रवाना किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त

रोहित कुमार पुत्र दशरथ निवासी गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ उम्र 20 वर्ष.

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.स. 74/2023 धारा 354,328,506 IPC व 67A IT एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ.नि. शिवसागर यादव चौकी प्रभारी गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

HC मोतीचन्द्र थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

का.अभिनन्दन कुमार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

का.सुनील कुमार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

थाना- कप्तानगंज

भारतीय सेना की वर्दी धारण कर फर्जी अधिकारी बनने वाला गिरफ्तार

➡ दिनांक 9.3.2023 को उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव मय हमराह चौकी क्षेत्र में मौजूद था कि मुखबिर खास ने सूचना दिया कि कल्यानपुर में एक व्यक्ति आर्मी आफिसर की वर्दी में संदिग्ध अवस्था में क्रेटा गाड़ी जो सफेद रंग की है से घूम रहा है जो थोडी देर में खलीफतपुर की ओर जाने वाला है, यदि शीघ्रता किया जाय तो पकड़ा जा सकता है।

➡ इस सूचना पर विश्वास कर कल्यानपुर चौराहे पर आकर वाहन चेकिंग किया जाने लगा कि थोड़ी देर बाद कल्यानपुर यादव बस्ती की ओर से एक सफेद रंग की क्रेटा गाड़ी आते दिखाई दी। गाड़ी नजदीक आने पर रूकने का इशारा किया गया गाड़ी रूकते ही ड्राइविंग सीट पर बैठे आर्मी आफिसर का ड्रेस पहने व्यक्ति को नीचे उताकर अपना परिचय बताने को कहा गया तो आना कानी करने लगा सख्ती से पूछने पर उसने अपना नाम सन्तोष यादव S/0 श्यामनरायन यादव R/0 कन्धेरी डूमरांव Ps सराय लखन्सी जनपद मऊ उम्र 27 वर्ष आर्मी का ले0 कर्नल बताया।

परिचय पत्र मांगने पर परिचय पत्र दिया जिस पर अंग्रेजी में लेफ्टीनेण्ट कैप्टन बैच नं. 183 नाम सन्तोष यादव S/0 श्यामनरायन यादव R/0 कन्धेरी जिला मऊ UP डियूटी फ्राम ऋषिकेश B.N 143 भर्ती बोर्ड अंकित है। जबकी वर्दी ले0 कर्नल की धारण किया है।

➡ उक्त के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि मैने समाज में अपना रौब बनाने के लिए उक्त वर्दी को धारण किया था।

➡ तलाशी के दौरान एक फोटो स्टेट कैन्टीन स्मार्ट कार्ड , NPS की छाया प्रति ,02 वाकी टाकी सेट मय चार्जर व रंग काला , एक अदद मोबाइल OPPO CH 2185 IMEI 862853051722722 मिला।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 53/23 धारा 140/419/420/465/468 IPC थाना कप्तानगंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सन्तोष यादव S/0 श्यामनरायन यादव R/0 कन्धेरी डूमरांव Ps सराय लखन्सी जनपद मऊ

बरामदगी

01 फोटो स्टेट कैन्टीन स्मार्ट कार्ड

NPS की छाया प्रति

02 वाकी टाकी सेट मय चार्जर

01 मोबाइल OPPO CH 2185

आर्मी की वर्दी एक सेट बैच के साथ

एक क्रेटा कार- (207 MV Act में सीज)

एक अदद आईडी कार्ड

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

SHO राजेश कुमार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

HC उमाकान्त यादव, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

HC गंगासागर यादव थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

का0 अखिलेश यादव थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

का0 संदीप दूबे थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

आरक्षी राकेश कुमार

थाना मुबारकपुर
गौतस्करी में संलिप्त अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के गिरफ्तार

दिनांक 09.03.2023 को व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह के साथ अमिलो मे मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो अभ्यस्थ गो तस्करी का अपराधी है अवैध तमंचा व कारतूस के साथ मोहम्दाबाद गोहना की तरफ जाने वाला है। इस सूचना पर व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह द्वारा ओझौली तिराहा से 10 कदम दूर पर अभियुक्त पप्पू उर्फ मद्रासी पुत्र स्व0 जुबेर निवासी जयराजपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को मोटर साइकिल सहित पकड़ लिया गया। जामा तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 19.30 बजे दिनांक 09.03.2023 को हिरासत पुलिस मे लिया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 116/2023 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत है। जिसकी विवेचना उ0नि0 राजीव कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

☐मु0अ0सं0- 116/2023 धारा 3/25 आर्म्स थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः- ☐ मु0अ0सं0 153/2015 धारा 3/5ए/8 गो-वध अधि एवं 11 पशु क्रूरता अधि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

☐ मु0अ0सं0 021/2016 धारा 3/5ए/8 गो-वध अधि अधि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

☐मु0अ0सं0 216/2018 धारा 3/5ए/8 गो-वध अधि एवं 11 पशु क्रूरता अधि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

☐ मु0अ0सं0 140/2019 धारा 3/5ए/8 गो-वध अधि एवं 11 पशु क्रूरता अधि व 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

☐मु0अ0सं0 139/2019 धारा 3/5ए/8 गो-वध अधि एवं 11 पशु क्रूरता अधि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

☐ मु0अ0सं0 50/2020 धारा 3(1) गैग्स्टर अधि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

☐ मु0अ0सं0 64/2021 धारा 4/25 आयुद्ध अधि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव हमराह आरक्षी का0 सद्दाम हुसैन अंसारी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना निजामाबाद

जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपी अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 08.03.2023 को वादी मुकदमा सुशील कुमार यादव पुत्र बांकेलाल यादव निवासी खादा थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा विपक्षीगणों द्वारा रंग गुलाल लगाने में हुये गाली गलौज तथा विपक्षीगणों द्वारा गुस्से में आकर वादी मुकदमा के ऊपर जान मारने की नियत से बन्दूक से फायर कर देने व जान मारने की धमकी देने के संबंध में मु0अ0सं0- 95/23 धारा 307/504/506/34 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़ बनाम 1. प्रिन्स राय पुत्र राजेश राय उर्फ मिन्टू राय 2. राजेश राय उर्फ मिन्टू राय पुत्र स्व0 बब्बन राय निवासीगण खादा थाना निजामाबाद आजमगढ़ 3. बब्लू यादव पुत्र बलिराम यादव निवासी चांदपुर टुण्डवल थाना निजामाबाद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है।

दिनांक 09.03.2023 को उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला के द्वारा फर्द बरामदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई है तथा मु0अ0सं0 0098/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम राजेश राय उर्फ मिण्टू राय पुत्र स्व0 बब्बन राय निवासी खादा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण

1. प्रिन्स राय पुत्र राजेश राय उर्फ मिन्टू राय.

2. राजेश राय उर्फ मिन्टू राय पुत्र स्व0 बब्बन राय निवासीगण खादा थाना निजामाबाद आजमगढ़ को ग्राम खादा में उनके मुर्गी फार्म से गिरफ्तार किया गया।

मौके पर घटना में प्रयुक्त किये गये बन्दूक हाफ बैरल 12 बोर तथा नाल में खोखा कारतूस मौजूद मिला। तथा अभियुक्त राजेश राय उपरोक्त के पास से अवैध तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ।

अभियुक्त राजेश राय उपरोक्त का यह कार्य धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध पाया गया तथा घटना में प्रयुक्त बन्दूक हाफ बैरल(12 बोर) की बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 95/23 में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई।

अभियुक्तगण को दिनांक 09.03.2023 को समय 09.15 बजे रात में गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 0095/23 धारा 307/504/506/34 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़ 2. मु0अ0सं0 0098/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

बरामदगी-

01 कट्टा नाजायज 12 बोर.

01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

01 बन्दूक हाफ बैरल नाजायज 12 बोर

01 जिन्दा कारतूस

01 खोखा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला थाना निजामाबाद, आमजगढ

2. उ0नि0 कुलदीप सिह थाना निजामाबाद आजमगढ़

3. का0 अखिलेश सिंह थाना निजामाबाद आजमगढ़

4. का0 कृष्ण कुमार यादव थाना निजामाबाद आजमगढ़

थाना- कप्तानगंज

आपराधिक गैंग का सदस्य अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 28.02.2023 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया अभियुक्त प्रमोद तिवारी पुत्र केदारनाथ तिवारी ग्राम कुशमहरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ एक शातिर किस्म का गिरोह बन्द अपराधी है जो अपने गैंग का गैंग लीडर है तथा इसके गैंग के सदस्य साहब उर्फ नूर मोहम्मद पुत्र हबीबुल्लाह ग्राम कुशमहरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, सूरज निषाद पुत्र जीता निषाद ग्राम कुशमहरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, रामअवध केवट पुत्र

ढुनमुन ग्राम कुशमहरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, मुकेश यादव पुत्र रामचन्द्र यादव ग्राम कुशमहरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, लक्ष्मण सिंह पुत्र अवधेश सिंह ग्राम बिलारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ है।
यह अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक तथा दुनियाबी लाभ हेतु स्वयं तथा सामुहिक रूप से सम्मिलित होकर भा0द0वि0 के अध्याय 16,17 एवं 22 में वर्णित अपराधो के करने के आदी है के सम्बन्ध में दिया गया प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 46/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक तहबरपुर द्वारा की जा रही है।
गिरफ्तारी का विवरण:-
आज दिनांक 10.03.2023 को उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती मय हमराह बाजार मे मौजूद थे कि मुखबीर खास ने बताया की एक व्यक्ति जो आपके थाने में गैंगेस्टर एक्ट मे वांछित है। जिसके पास एक नाजायज असलहा भी लिये हुए है। इस समय धरौली मोड़ के पास मौजूद है जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है ।
इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम तेजी से धरौली मोड की तरफ बढे। खडे व्यक्ति के पास पहुंचते ही पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिसको पुलिस टीम ने पकड लिया।
अभियुक्त की पहचान साहब उर्फ नूर मोहम्मद पुत्र हबीबुल्लाह ग्राम कुशमहरा थाना कप्तानगंज आजमगढ उम्र करीब 30 वर्ष के रूप में हुयी।
तलाशी में 1 नाजायज असलहा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर मिला।
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 55/2023 धारा 3/25 A Act थाना कप्तानगंज आजमगढ़
अपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 63/2021 धारा 147/148/307/308/323/341/427/504/506/325 भा0द0वि0 थाना अहरौला आजमगढ़
2. 46/23 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
गिरफ्तार अभियुक्त-
साहब उर्फ नूर मोहम्मद पुत्र हबीबुल्लाह ग्राम कुशमहरा थाना कप्तानगंज आजमगढ
बरामदगी
एक तमंचा .315 बोर
एक जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज
गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम
प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती थाना कप्तानगंज आजमगढ़
का0 विकास प्रजापति थाना कप्तानगंज आजमगढ़
का0 मुकेश आजाद थाना कप्तानगंज आजमगढ

थाना- कप्तानगंज
अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 10/03/23 को उ0नि0 जितेन्द्र सिंह मय हमराह को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुयी कि एक व्यक्ति गांजा लेकर जलालपुर सरकारी स्कूल के पास से हाइवे के तरफ आ रहा है । यदि तेजी फुर्ती की जाये तो पकड़ा जा सकता है ।
इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली गई तलाशी के दौरान अपना नाम सरवन पुत्र रामनाथ ग्राम- देउरपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष बताया ।
जिसके कब्जे से बाये हाथ में एक लाल रंग का झोला के बारे में बताया कि इसमे गांजा है, जिसको मैं बाहर से लाकर बेचता हूँ। जिसकी सूचना क्षेत्राधिकारी बुढनपुर को दी गयी। इस सूचना क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर की मौजूदगी में झोले को खोलकर देखा गया कि उसके अन्दर एक सफेद रंग की खाद की बोरी में 1100 ग्राम बरामद किया गयाह
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 54/23 धारा 8/20 NDPS Act थाना कप्तानगंज आजमगढ़।
अपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 215/18 धारा 323/354/504/506 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कप्तानगंज आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 207/20 धारा 3/25 A Act थाना कप्तानगंज आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 271/22 धारा 8/20 NDPS Act थाना कप्तानगंज आजमगढ़.
4. मु0अ0सं0 44/23 धारा 323/504/506 IPC थाना कप्तानगंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-
सरवन पुत्र रामनाथ ग्राम- देउरपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ़
बरामदगी-
गांजा 1100 ग्राम नाजायज
गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम
SHO राजेश कुमार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
कां0 प्रमोद यादव, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
कां0 नित्यानन्द सिंह, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
कां0 विनोद यादव, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
कां0 विवेक यादव थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

थाना- कप्तानगंज
जहरखुरानी कर राहगीरों को लूटने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-
दिनांक 07.02.2023 को वादी मुकदमा प्रवीण कुमार सिंह पुत्र त्रिलोकी नाथ सिंह साकिन मझगावा थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया दिनांक- 28.01.23 को आवेदक सेल्स मैन का काम करके अतरौलिया से आजमगढ़ जाते समय रास्ते में दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा छल करने की मंशा से आजमगढ़ ले जाने के लिये मोटर साईकिल पर बैठा लेना तथा कौड़िया बाजार में रूपम स्वीट हाउस एवं जनसेवा केन्द्र की दुकान से नशीला लड्डू व मन्दिर के सामने चाय की दुकान से नशीला चाय पीला देना तथा आवेदक से वसूली के 8000 रूपये, सोनी की अंगूठी, ओपो मोबाईल एफ-19 प्रो जेब से निकाल लेना व आवेदक के फोन से 1000 रूपया अपने फोन-पे नम्बर- 9415521240 पर भेजवाने के के सम्बन्ध में दिया गया.
प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 22/2023 धारा 328/420 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था। CDR व कैफ के अवलोकन से अभियुक्त शैलेश राजभर पुत्र दीनानाथ राजभर निवासी सिंघोरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया था।
गिरफ्तारी का विवरण:-
आज दिनांक 10.03.2023 को उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव मय हमराह को मुखबिर खास ने सूचना दिया कि जहरखुरानी के मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त हेतुगंज बाजार से खलीफतपुर की ओर आ रहा है यदि शिघ्रता किया जाय तो पकड़ा जा सकता है।
इस सूचना का विश्वास कर खलीफतपुर पुलिया के पास आकर कुछ दूरी पर छिप कर बैठ गये कुछ देर बाद एक व्यक्ति हेतुगंज की तरफ से आता दिखाई दिया। नजदीक आने पर अचानक हम पुलिस को देखकर खलीफतपुर की ओर मुड़ गया और तेज कदमो से भागने लगा कि पीपल के पेड़ के पास घेर कर पकड़ लिया गया।
पकड़े गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम शैलेश राजभर पुत्र दीनानाथ राजभर ग्राम सिंघोरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष बताया। तलाशी ली गयी तो उसके पहने हुए लोवर के दाहिने जेब से एक मोबाईल OPPO जिसका IMEI चेक कराया गया तो 866899053961510 है बरामद हुआ।
पूछने पर बताया कि दिनांक 28.01.2023 को समय करीब शाम को 06.00 बजे मैं तथा मेरा एक साथी हनुमान निषाद पुत्र स्व0 निहोर ग्राम शम्भूपुर थाना अहरौला का रहने वाला है उसी की मोटर साइकिल से बूढनपुर में एक व्यक्ति को लिफ्ट देने के नाम पर झांसे मे लेकर बैठाया कौड़िया बाजार में लड्डू में नशीला पदार्थ दिया गया। किन्तु वह व्यक्ति बहुत कम खाया असर नही होने के कारण दुबारा हनुमान ने चाय में नशीला पदार्थ मिला कर पिला दिया। फिर हम लोग आजमगढ़ की ओर चलते रहे है। जब वह व्यक्ति नशे में हो गया। तो उसका मोबाइल व पैसा तथा अंगूठी निकाल कर सड़क किनारे छोड़ कर चले गये। मोबाइल व 4000 रूपये मै ले लिया, अंगूठी व 4000 रूपये हनुमान ले लिया। पैसे खर्च हो गये मोबाइल यही है जो मेरे पास से मिला है। एक हाजार रूपये खाते में मोबाइल से ट्रान्सफर होने के बावत पूछने पर बताया कि इसके बारे में हनुमान ही बतायेगा।
अभियुक्त शैलेश राजभर से प्राप्त मो0 के IMEI का मिलान किया गया तो यह वही मोबाइल है जो मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित है। अभियुक्त को उसका यह कृत्य धारा 328/420/379/411 IPC का बताकर समय करीब 12.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 22/2023 धारा 328/420/379/411 IPC थाना कप्तानगंज आजमगढ़
गिरफ्तार अभियुक्त-
शैलेश राजभर पुत्र दीनानाथ राजभर ग्राम सिंघोरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
बरामदगी

एक मोबाइल OPPO कम्पनी

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम
प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
HC उमाकान्त यादव थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

थाना दीदारगंज
चोरी के सामान के साथ शातिर चोर गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

➡ थाना स्थानीय पर दिनांक 03.03.2023 को मुर्गी की दुकान से 15 मुर्गी व एक चापड चोरी के सम्बन्ध में वादी के तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0 52/2023 धारा 379/457 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

➡ मोटर साइकिल पार्ट की दुकान से मोबिल आयल व ब्रेक आयल तथा बैट्री चोरी के सम्बन्ध में वादी के तहरीरी सूचना मु0अ0सं0 05/23 धारा 379/457 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था

गिरफ्तारी का विवरणः-
आज दि0 10.3.23 को उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव मय हमराह को मुखबीर खास द्वारा सूचना दी कि उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त कही भागने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसकी पहचान गुड्डू कुमार पुत्र शिवजोर ग्राम कुशलगांव थाना दीदारगंज आजमगढ के रूप में हुई।
गिरफ्तार अभियुक्त
गुड्डू कुमार पुत्र शिवजोर ग्राम कुशलगांव थाना दीदारगंज आजमगढ
आपराधिक इतिहास-

1 मु.अ.सं. 52/23 धारा 379/457/411 भा0द0वि0 दीदारगंज आजमगढ़
2 मु.अ.सं.5/23 धारा 379/457/411 भा0द0वि0 दीदारगंज आजमगढ़
3. मु.अ.सं. 16/21 धारा 379/411 भा0द0वि0
बरदह आजमगढ़
बरामदगी-
मुर्गा काटने वाला चापड़ व मोबिल
गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-
प्र0नि0 विजय प्रताप सिंह थाना दीदारगंज आजमगढ़
उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव, थाना दीदारगंज आजमगढ
उ0नि0 दशरथ उपाध्याय थाना दीदारगंज आजमगढ़
हे0का0 पवन यादव थाना दीदारगंज आजमगढ़